मोबाईल टावर की स्थापना हेतु संशोधित नीति

1. **मानक एवं स्थल चिन्हांकनः-**

1.1 Department of Telecommunication (DoT), Govt. of India में पंजीकृत मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों को ग्रीन बेल्ट, पार्क, सामुदायिक केन्द्रों अथवा शापिंग सेन्टर, हॉस्पिटल की छतों पर, व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों की छतों, जिसमें स्कूल, नर्सिंग होम एवं अन्य सार्वजनिक सुविधायें सम्मिलित नही होंगी, पर लाईसेंस पद्धति पर लाईसेंस फीस लेते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा के अनुमोदनोपरान्त मोबाईल टावर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

1.2 टॉवर लगाने की अनुमति आवासीय भवनों/भूखण्डों पर अनुमन्य नहीं की जायेगी। सभी मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा आवासीय भवनों/भूखण्डों पर स्थापित मोबाईल टॉवरों को हटा लिया जायेगा। ऐसा न किये जाने की दशा में जिन आवासीय भवनों/भूखण्डों पर मोबाईल टावर लगे होंगे, उन भवनों/भूखण्डों के नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा बलपूर्वक मोबाईल टावर को हटा दिया जायेगा।

2. **दरें (Tariff)**

2.1. निर्माण से पूर्व टॉवर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) एक मुश्त देय होंगें । यदि अनुमति आवेदन से पूर्व से ही टॉवर स्थापित हो तो आवेदन शुल्क रू 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) देय होगा। एक टॉवर का प्रयोग एक से अधिक कम्पनियों द्वारा किये जाने पर प्रति कम्पनी रूपये 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) शुल्क अतिरिक्त देय होगा। उक्त आवेदन शुल्क non refundable होगा तथा किसी भी अन्य शुल्क में समायोजित नहीं किया जायेगा।

2.2 पार्क एवं ग्रीन बैल्ट में स्थल चिन्हित करते हुए लाईसेंस पद्धति पर लाईसेंस फी लेते हुए मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों को अधिकतम 25 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जायेंगे जिन पर मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्माण कर मोबाईल टावर कार्यशील करना होगा तथा दिये गये भूखण्डों पर केवल उतना ही निर्मित क्षेत्रफल अनुमन्य होगा जितना टॉवर, गार्डरूम, डी0जी0 सेट एवं अन्य उपकरण लगाने हेतु न्यूनतम आवश्कता होगी। मोबाइल टॉवर के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक निर्माण के अतिरिक्त किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2.3 प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र अथवा अन्य भवनों पर अथवा ग्रीन बैल्ट एवं पार्क में टॉवर लगाने की अनुमति पाँच वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी तथा लाईसेन्स फीस रू0 25,000/- प्रति माह की दर से देय होगी तथा उक्त दर में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि देय होगी। अग्रिम पाँच-पाँच वर्ष उपरान्त प्राधिकरण द्वारा तत्समय पुनः लाईसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। टावर लगाने हेतु अनुमति अधिकतम 20 वर्ष तक दी जायेगी। लाईसेन्स फीस हेतु देय वार्षिक धनराशि प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह में अग्रिम देय होगी।

2.4 आवेदन के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए रूपये 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) की बैंक गारन्टी प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि लाईसेन्स नवीनीकरण होता है तो बैंक गारन्टी वापिस करते हुए नवीनीकरण की दशा में बैंक गारन्टी भी पुनः देनी अनिवार्य होगी।

2.5 प्राधिकरण को देय लाईसेन्स फीस का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तारण विशेष परिस्थितियों में लाईसेन्स अवधि में केवल दो बार ही अनुमन्य होगा । विस्तारण की दशा में 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) की दर से बकाया धनराशि पर ब्याज देय होगा। एक वर्ष के उपरान्त लाईसेंस फीस डिफाल्ट होने की दशा में टॉवर लगाने की अनुमति स्वतः ही निरस्त की जायेगी एवं बैंक गारन्टी प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। आवंटी/पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी लाईसेंस फीस की धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय वार्षिक फीस में समायोजित की जायेगी।

3. **सक्षम प्राधिकारी**

टॉवर स्थापित करने हेतु अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रदान की गयी अनुमति जनहित में किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। अनुमति निरस्त करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा कोई भी वित्तीय क्षति देय नहीं होगी । मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनी को अनुमति निरस्त करने हेतु जारी पत्र की तिथि से 30 दिन के अन्दर कम्पनी के समस्त उपकरणों को स्थल से हटाना अनिवार्य होगा।

4. **आवेदन**

4.1 सेल्यूलर मोबाइल सेवा आपरेटर कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जोकि संलग्न है, पार्क एवं ग्रीन बैल्ट में मोबाईल टावर की स्थापना हेतु स्थल चिन्हित करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।

4.2 व्यवसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर लाईसेन्स वांछित हो तो सेल्यूलर मोबाइल सेवा आपरेटर कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी तथा निर्मित भवनों/परिसर के पट्टाधारक की ओर से संयुक्त रूप से आवेदन किया जायेगा।

4.3 व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर लाईसेन्स वांछित हो तो मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को आवेदन के साथ निर्मित भवन/परिसर स्वामी का रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें भवन स्वामी/पट्टाधारक द्वारा अपने भवन की छत पर टॉवर स्थापित करने की स्पष्ट सहमति व्यक्त की गयी हो।

4.4 आवेदन के साथ मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी/ मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर Indemnity bond जमा कराना होगा कि किसी प्रकार की क्षति होने पर उस क्षति की पूर्ति उनके द्वारा की जायेगी। आवेदक द्वारा न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता के साथ प्राधिकरण के पक्ष में तीन लाख की बैंक गारण्टी क्षतिपूर्ति के विरूद्ध प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी तथा अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदक द्वारा बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराना होगा।

4.5 लाईसेन्स हेतु आवेदन करते समय आवेदक को तीन प्रतियों में साईट प्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसमें टॉवर की लोकेशन, उसकी अधिकतम ऊचाँई, आकार, हाई टेन्शन विद्युत लाइनें, टावर का वजन, पोल/वॉल माउन्टेड का विवरण एवं एन्टिनाओं की संख्या आदि का विवरण होगा।

4.6 ग्रीन बैल्ट, पार्क एवं व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर आवेदक को Ground Based Tower & Roof Top BTS towers की स्थापना हेतु structural stability certificate प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन के साथ निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था के स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा इस आशय का प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त टॉवर की दृढ़ता एवं उससे भवन की स्ट्रक्चरल स्टैबिलिटी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- Structural Engineer of state /local bodies
- Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee
- IIT
- NIT
- Any other agency authorized by local body.

4.7 सेल्यूलर टॉवर हेतु लगाये जाने वाले जनरेटर का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो यू0पी0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा संयन्त्र सीमित करने हेतु कोई अनापत्ति वांछित है तो आवेदक द्वारा प्राप्त की जायेगी।

4.8 **आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगेः-**

i) Application money, license fees and bank guarantee.

ii) Department of Telecommunication (DoT) द्वारा जारी Copy of relevant license / Infrastructure Provider Registration Certificate.

iii) Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) to the manufacturers of the diesel Generator (DG) sets.

iv) Copy of clearance from fire Safety Department only in case for high rise buildings where fire Clearance is mandatory.

v) Forest protected areas में copy of clearance from state Environment & Forest Department.

vi) Self Decleration on EMF level to be submitted as per DoT Guidelines and after installtion of active antennas, acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of the self certificate submitted by Telecom Service Provider/ infrastructure Provider in respect of mobile tower/BTS (ground based/ roof top/pole/ wall mounted) in the format as prescribed by TEC, DoT, establishing / certifying that all General Public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after the antennae start radiating.

vii) Self declearation to submit a copy of SACFA clearance / copy of SACFA application for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection, TSPs/ IPs will take corrective actions/ remove the tower and the same acknowledgement copy must be submitted to Noida Authority within 3 months time from the date of operation.

viii) Structural Stability certificate.

ix) Affidavit and indemnity bond.

x) Side plan in 3 copies.

5. **अन्य नियम व शर्ते**

5.1 आवेदन पत्र के साथ उक्त प्रस्तर 2 में वर्णित आवेदन शुल्क तथा एक वर्ष का अग्रिम मासिक शुल्क का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से नोएडा/दिल्ली की शाखा पर देय होना अनिवार्य है।

5.2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को उनके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय समय पर लाईसेंस की शर्तो में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5.3 नियम व शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदक मानने के लिए बाध्य होगा।

5.4 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण मोबाईल टावर हेतु स्थल का कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण जमा धनराशि को मोबाईल सेवा ऑपरेटर/कम्पनी को 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापिस कर दी जायेगी।

5.5 किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय जहाँ सम्पत्ति स्थित है का होगा।

5.6 मोबाईल सेवा ऑपरेटर/कम्पनी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम सन 1976 (यू.पी. एक्ट में 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगें।

5.7 निर्मित टॉवर का प्रयोग विज्ञापन लगाने अथवा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।

5.8 कम्पनी का सेल्यूलर टॉवर निर्माण/स्थापना/संचालन हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुरूप संबंधित विभागों से आवश्यक प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो उसे निर्माण प्रारम्भ करने/संचालन से पूर्व प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

5.9 सेल्यूलर टॉवर कम्पनियों को प्राधिकरण की भवन विनियमावली मान्य होगी।

5.10 रोड, ड्रेन टॉप से टॉवर की ऊचॉई 30 मी0 से अधिक होने पर प्रार्थी को स्वीकृति से पूर्व Copy of SACFA clearance / copy of SACFA application के साथ-साथ SACFA Clearance हेतु जमा करायी गयी Airport Authority of India Ltd. के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।

5.11 मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा 2 जी, 3जी की सेवाएं बन्द की जाती है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के भुगतान की देयता प्राधिकरण स्तर पर देय नहीं होगी तथा भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित करना होगा।

5.12 पार्क एवं ग्रीन बैल्ट के भूखण्ड का हस्तांनातरण/संविधान परिवर्तन/अंशधारिता परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। पार्क एवं ग्रीन बैल्ट के भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 6 माह के अन्दर प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त कर संचालन प्रारम्भ करना होगा। इसमें किसी भी दशा में समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा समयान्र्तगत क्रियाशील न होने की स्थिति में समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुए लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत भूखण्ड को रिक्त मानते हुए अन्य को लाईसेंस पद्धति पर भूखण्ड दे दिया जायेगा।

5.13 EMF सम्बन्धी मामलों में सम्बन्धित TERM Cell की सहमति के उपरान्त ही मोबाईल टावर के सीलिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

नवीन ओखला औद्यौगिक विकास प्राधिकरण

नौएडा क्षेत्र में मोबाईल टॉवर लगाने हेतु आवेदन पत्र

1) आवेदक/कम्पनी/फर्म का नाम..

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का बैंक द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ

2) प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम...

3) पिता/पति का नाम...

4) वर्तमान पता...
....
....

5) स्थायी पता.
....
....

6) फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर/फैक्स नम्बर.......................................

7) प्रस्तावित मोबाईल टावर के स्थल का विवरणः (परिसर के भू-उपयोग सहित)..........................
....

8) आवेदन शुल्क/लाईसेंस फी रू0..................... का विवरण (अप्रतिदेय)

डी.डी./पी.ओ. सं0......................
दिनांक...................................
बैंक.....................................
शाखा....................................

9) बैंक गारन्टी का विवरण...
....

10) आवेदन के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों का पूर्ण विवरणः-

i..
ii. ....
iii. ....
iv. ....
v. ....

नोटः टॉवर स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत शर्ते संलग्न है, जिसे आवेदक तथा परिसम्पत्ति स्वामी/पट्टाधारक द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए आवेदन के साथ जमा कराना होगा।

आवेदक/कम्पनी/फर्म के हस्ताक्षर
कम्पनी सील

परिसम्पत्ति स्वामी/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने हेतु नियम एवं शर्ते

1. मानक एवं स्थल चिन्हांकनः-

1.1 Department of Telecommunication (DoT), Govt. of India में पंजीकृत मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों को ग्रीन बेल्ट, पार्क, सामुदायिक केन्द्रों अथवा शापिंग सेन्टर, हॉस्पिटल की छतों पर, व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों की छतों, जिसमें स्कूल, नर्सिंग होम अन्य सार्वजनिक सुविधायें सम्मिलित नही होंगी, पर लाईसेंस पद्धति पर लाईसेंस फीस लेते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा के अनुमोदनोपरान्त मोबाईल टावर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

1.2 टॉवर लगाने की अनुमति आवासीय भवनों/भूखण्डों पर अनुमन्य नहीं की जायेगी। सभी मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा आवासीय भवनों/भूखण्डों पर स्थापित मोबाईल टॉवरों को हटा लिया जायेगा। ऐसा न किये जाने की दशा में जिन आवासीय भवनों/भूखण्डों पर मोबाईल टावर लगे होंगे, उन भवनों/भूखण्डों के नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा बलपूर्वक मोबाईल टावर को हटा दिया जायेगा।

2. दरें (Tariff)

2.1. निर्माण से पूर्व टॉवर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) एक मुश्त देय होंगें । यदि अनुमति आवेदन से पूर्व से ही टॉवर स्थापित हो तो आवेदन शुल्क रू 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) देय होगा। एक टॉवर का प्रयोग एक से अधिक कम्पनियों द्वारा किये जाने पर प्रति कम्पनी रूपये 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) शुल्क अतिरिक्त देय होगा। उक्त आवेदन शुल्क non refundable होगा तथा किसी भी अन्य शुल्क में समायोजित नहीं किया जायेगा।

2.2 पार्क एवं ग्रीन बैल्ट में स्थल चिन्हित करते हुए लाईसेंस पद्धति पर लाईसेंस फी लेते हुए मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों को अधिकतम 25 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जायेंगे जिन पर मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्माण कर मोबाईल टावर कार्यशील करना होगा तथा दिये गये भूखण्डों पर केवल उतना ही निर्मित क्षेत्रफल अनुमन्य होगा जितना टॉवर, गार्डरूम, डी0जी0 सेट एवं अन्य उपकरण लगाने हेतु न्यूनतम आवश्कता होगी। मोबाइल टॉवर के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक निर्माण के अतिरिक्त किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2.3 प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र अथवा अन्य भवनों पर अथवा ग्रीन बैल्ट एवं पार्क में टॉवर लगाने की अनुमति पाँच वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी तथा लाईसेन्स फीस रू0 25,000/- प्रति माह की दर से देय होगी तथा उक्त दर में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि देय होगी। अग्रिम पाँच-पाँच वर्ष उपरान्त प्राधिकरण द्वारा तत्समय पुनः लाईसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। टावर लगाने हेतु अनुमति अधिकतम 20 वर्ष तक दी जायेगी। लाईसेन्स फीस हेतु देय वार्षिक धनराशि प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह में अग्रिम देय होगी।

2.4 आवेदन के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए रूपये 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) की बैंक गारन्टी प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि लाईसेन्स नवीनीकरण होता है तो बैंक गारन्टी वापिस करते हुए नवीनीकरण की दशा में बैंक गारन्टी भी पुनः देनी अनिवार्य होगी।

2.5 प्राधिकरण को देय लाईसेन्स फीस का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तारण विशेष परिस्थितियों में लाईसेन्स अवधि में केवल दो बार ही अनुमन्य होगा । विस्तारण की दशा में 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) की दर से बकाया धनराशि पर ब्याज देय होगा। एक वर्ष के उपरान्त लाईसेंस फीस डिफाल्ट होने की दशा में टॉवर लगाने की अनुमति स्वतः ही निरस्त की जायेगी एवं बैंक गारन्टी

आवेदक/कम्पनी/फर्म के हस्ताक्षर | परिसम्पत्ति स्वामी/पट्टाधारक के हस्ताक्षर
कम्पनी सील

प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। आवंटी/पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी लाईसेंस फीस की धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय वार्षिक फीस में समायोजित की जायेगी।

3. सक्षम प्राधिकारी

टॉवर स्थापित करने हेतु अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रदान की गयी अनुमति जनहित में किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। अनुमति निरस्त करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा कोई भी वित्तीय क्षति देय नहीं होगी । मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनी को अनुमति निरस्त करने हेतु जारी पत्र की तिथि से 30 दिन के अन्दर कम्पनी के समस्त उपकरणों को स्थल से हटाना अनिवार्य होगा।

4. आवेदन

4.1 सेल्यूलर मोबाइल सेवा आपरेटर कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जोकि संलग्न है, पार्क एवं ग्रीन बैल्ट में मोबाईल टावर की स्थापना हेतु स्थल चिन्हित करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।

4.2 व्यवसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर लाईसेन्स वांछित हो तो सेल्यूलर मोबाइल सेवा आपरेटर कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी तथा निर्मित भवनों/परिसर के पट्टाधारक की ओर से संयुक्त रूप से आवेदन किया जायेगा।

4.3 व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर लाईसेन्स वांछित हो तो मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को आवेदन के साथ निर्मित भवन/परिसर स्वामी का रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें भवन स्वामी/पट्टाधारक द्वारा अपने भवन की छत पर टॉवर स्थापित करने की स्पष्ट सहमति व्यक्त की गयी हो।

4.4 आवेदन के साथ मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी/ मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर Indemnity bond जमा कराना होगा कि किसी प्रकार की क्षति होने पर उस क्षति की पूर्ति उनके द्वारा की जायेगी। आवेदक द्वारा न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता के साथ प्राधिकरण के पक्ष में तीन लाख की बैंक गारण्टी क्षतिपूर्ति के विरूद्ध प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी तथा अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदक द्वारा बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराना होगा।

4.5 लाईसेन्स हेतु आवेदन करते समय आवेदक को तीन प्रतियों में साईट प्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसमें टॉवर की लोकेशन, उसकी अधिकतम ऊचाँई, आकार, हाई टेन्शन विद्युत लाइनें, टावर का वजन, पोल/वॉल माउन्टेड का विवरण एवं एन्टिनाओं की संख्या आदि का विवरण होगा।

4.6 ग्रीन बैल्ट, पार्क एवं व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर आवेदक को Ground Based Tower & Roof Top BTS towers की स्थापना हेतु structural stability certificate प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन के साथ निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था के स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा इस आशय का प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त टॉवर की दृढ़ता एवं उससे भवन की स्ट्रक्चरल स्टैबिलिटी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- Structural Engineer of state /local bodies
- Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee
- IIT
- NIT
- Any other agency authorized by local body.

4.7 सेल्यूलर टॉवर हेतु लगाये जाने वाले जनरेटर का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो यू0पी0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा संयन्त्र सीमित करने हेतु कोई अनापत्ति वांछित है तो आवेदक द्वारा प्राप्त की जायेगी।

4.8 आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगेः-

i) Application money, license fees and bank guarantee.

आवेदक/कम्पनी/फर्म के हस्ताक्षर परिसम्पत्ति स्वामी/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

कम्पनी सील

ii) Department of Telecommunication (DoT) द्वारा जारी Copy of relevant license / Infrastructure Provider Registration Certificate.

iii) Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) to the manufacturers of the diesel Generator (DG) sets.

iv) Copy of clearance from fire Safety Department only in case for high rise buildings where fire Clearance is mandatory.

v) Forest protected areas में copy of clearance from state Environment & Forest Department.

vi) Self Decleration on EMF level to be submitted as per DoT Guidelines and after installtion of active antennas, acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of the self certificate submitted by Telecom Service Provider/ infrastructure Provider in respect of mobile tower/BTS (ground based/ roof top/pole/ wall mounted) in the format as prescribed by TEC, DoT, establishing / certifying that all General Public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after the antennae start radiating.

vii) Self declearation to submit a copy of SACFA clearance / copy of SACFA application for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection, TSPs/ IPs will take corrective actions/ remove the tower and the same acknowledgement copy must be submitted to Noida Authority within 3 months time from the date of operation.

viii) Structural Stability certificate.

ix) Affidavit and indemnity bond.

x) Side plan in 3 copies.

5. अन्य नियम व शर्ते

5.1 आवेदन पत्र के साथ उक्त प्रस्तर 2 में वर्णित आवेदन शुल्क तथा एक वर्ष का अग्रिम मासिक शुल्क का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से नोएडा/दिल्ली की शाखा पर देय होना अनिवार्य है।

5.2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को उनके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय समय पर लाईसेंस की शर्तो में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5.3 नियम व शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदक मानने के लिए बाध्य होगा।

5.4 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण मोबाईल टावर हेतु स्थल का कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण जमा धनराशि को मोबाईल सेवा ऑपरेटर/कम्पनी को 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापिस कर दी जायेगी।

5.5 किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय जहाँ सम्पत्ति स्थित है का होगा।

5.6 मोबाईल सेवा ऑपरेटर/कम्पनी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम सन 1976 (यू.पी. एक्ट में 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगें।

5.7 निर्मित टॉवर का प्रयोग विज्ञापन लगाने अथवा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।

5.8 कम्पनी का सेल्यूलर टॉवर निर्माण/स्थापना/संचालन हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुरूप संबंधित विभागों से आवश्यक प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो उसे निर्माण प्रारम्भ करने/संचालन से पूर्व प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

5.9 सेल्यूलर टॉवर कम्पनियों को प्राधिकरण की भवन विनियमावली मान्य होगी।

5.10 रोड, ड्रेन टॉप से टॉवर की ऊचॉई 30 मी0 से अधिक होने पर प्रार्थी को स्वीकृति से पूर्व Copy of ACFA clearance / copy of SACFA application के साथ-साथ SACFA Clearance हेतु जमा करायी गयी Airport Authority of India Ltd. के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।

आवेदक/कम्पनी/फर्म के हस्ताक्षर
कम्पनी सील

परिसम्पत्ति स्वामी/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

5.11 मोबाईल सेवा ऑपरेटरों/मोबाईल इन्फास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा 2 जी, 3जी की सेवाएं बन्द की जाती है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के भुगतान की देयता प्राधिकरण स्तर पर देय नहीं होगी तथा भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित करना होगा।

5.12 पार्क एवं ग्रीन बैल्ट के भूखण्ड का हस्तांनातरण/संविधान परिवर्तन/अंशधारिता परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। पार्क एवं ग्रीन बैल्ट के भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 6 माह के अन्दर प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त कर संचालन प्रारम्भ करना होगा। इसमें किसी भी दशा में समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा समयान्र्तगत क्रियाशील न होने की स्थिति में समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुए लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत भूखण्ड को रिक्त मानते हुए अन्य को लाईसेंस पद्धति पर भूखण्ड दे दिया जायेगा।

5.13 EMF सम्बन्धी मामलों में सम्बन्धित TERM Cell की सहमति के उपरान्त ही मोबाईल टावर के सीलिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

सत्यापनः

मैं एतव द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है और इसका कोई भाग असत्य भी नहीं है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है, मैं उनसे सहमत तथा बाध्य हूँ। यदि मेरे द्वारा योजना की नियम शर्तों का उल्लंघन एवं मिथ्यारोपण किया जाता है तो प्राधिकरण को आवेदन-पत्र/परिसर/स्थल को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक/कम्पनी/फर्म के हस्ताक्षर
कम्पनी सील

परिसम्पत्ति स्वामी/पट्टाधारक के हस्ताक्षर